416

संख्या : 888 /XLI-1/2014–मु.मं.घो.–37/2012

प्रेशक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक : 25 सितम्बर, 2014

विषयः उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज प्रोद्योगिक संस्थान, टनकपुर (चम्पावत) के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 287/XLI-1/2014-15/2013 दिनांक 29.3.2014 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उक्त संस्थान सहित उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के 05संगठक कॉलेजों के निर्माण कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम लि. द्वारा गठित्र पृथक–पृथक आगणनों की कुल धनराशि ₹ 11303.71लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 10370.30लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 2360.50लाख को पी.एल.ए. में रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिए गये हैं कि उक्त धनराशि को व्यय हेतु पी.एल.ए. से आहरण करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2. तत्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29.3.2014 द्वारा प्रोद्योगिक संस्थान, टनकपुर (चम्पावत) के भवन निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम लि. द्वारा गठित आगणन ₹ 2211.13लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 2074.59लाख की प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए, भारत संचार निगम लि. (बी. एल.एन.एल.) को कार्यदायी संस्था नामित करने एवं बी.एल.एन.एल. द्वारा ₹ 2073.35लाख के प्रस्तुत आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹ 2073.35लाख {₹ 539.63लाख सिविल कार्य + ₹ 1533.72लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कार्य)} की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त शासनादेष दिनांक 29.3.2014 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पी.एल.ए. में रखी गई धनराशि ₹ 500लाख (₹ पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय एवं व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त योजना के क्रियान्वयन के समय संबंधित भूमि हस्तान्तरण संबंधी अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 133/X-4-14/1-03(01)2014 दिनांक 10.9.2014 द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
3. भवन का निर्माण preengineered structures में किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में हवा का अप्रत्याशित दबाव रहता है। अतः सभी वायु दबावों के अध्ययन के उपरान्त सभी structural members का design किए जाने के उपरान्त ही निर्माण कराया जाए।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवष्यक होगी।
5. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराषि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः...

7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।
8. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेष संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
10. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के 80प्रतिशत उपयोग के बाद ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।
12. आगणन में ₹ 1533.72लाख के non schedule items हैं। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
13. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु दिनांक 30.7.2014 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या 924/150/रा.यो.आ./2014 दिनांक 20.8.2014 द्वारा अंकित परामर्श/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 287/XLI-1/2014-15/2013 द्वारा उक्त कार्य हेतु पी.एल.ए. में रखी गई धनराशि से वहन किया जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 159(पी.)/XXVII(3)/2014 दिनांक 25सितम्बर, 2014 के अन्तर्गत प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : (1)/XIII(2)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
7. अधिशासी अभियंता (पी. एंड डी), मुख्य अभियंता (सिविल) कार्यालय, बी.एस.एन.एल. उत्तराखण्ड सिविल जोन, देहरादून।
8. परियोजना प्रबंधक, राजकीय निर्माण निगम लि., देहरादून।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस. एस. टोलिया)
उप सचिव।